न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 119/2024

वादीगणः-

1. मनोज कच्छवाह पुत्र सत्यनारायण जाति सरगरा निवासी स्कूल मैदान के पास उचियार्डा बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. मीनाक्षी कच्छवाह पुत्री सत्यनारायण जाति सरगरा निवासी स्कूल मैदान के पास उचियार्डा बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. श्रीमति नर्मदा देवी पत्नी सत्यनारायण जाति सरगरा निवासी स्कूल मैदान के पास उचियार्डा बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगणः-

1. केवलराम पुत्र घीसूराम
2. कंचन पुत्री घीसूराम जातियान सरगरा निवासीगण उचियार्डा बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

\- - - - -

उपस्थिति :- वादीगण - श्री गणपतलाल चौधरी,अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 3 -सरकारी पैरोकार

:: **आदेश** :: **दिनांकः-**23/04/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1482 रकबा 1.4886 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 1495 रकबा 1.4319 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.9205 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादी संख्या 1 से 2 के पिता व वादी संख्या 3 के पति सत्यनारायण पुत्र घीसाराम की सयुक्त खातेदारी की थी। सत्यनारायण के एक पुत्र मनोज कच्छवाह तथा दो पुत्रीयां मीनाक्षी कच्छवाह, अनमोल तथा पत्नी नर्मदा देवी है। खातेदार सत्यनारायण का देहान्त दिनांक 08. 12.2012 को हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी संख्या 1 से 2 के पिता व वादी संख्या 3 के पति सत्यनारायण पुत्र घीसाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादीगण का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश मनीष, राजू व नर्बदा नाम लिख दिया, जबकि वादीगण का वास्तविक नाम मनोज कच्छवाह, मीनाक्षी कच्छवाह, नर्मदा देवी है। वादी संख्या 1 मनोज कच्छवाह को मनीष तथा वादी संख्या 2 मीनाक्षी कच्छवाह को राजू तथा वादी संख्या 3 नर्मदा देवी को नर्बदा को घर में लाड प्यार से मनीष व राजू व नर्बदा पुकारते है और वादीगण का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम मनोज

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कच्छवाह, मीनाक्षी कच्छवाह नर्मदा देवी लिखा हुआ है। जब वादीगण के पिता सत्यनारायण का देहान्त हुआ उस समय फौतंदगी नामान्तरकरण में भूलवश या त्रुटीवश वादी संख्या 1 का नाम मनीष व वादी संख्या 2 का नाम राजू व वादी संख्या 3 का नाम नर्बदा लिख दिया, जबकि वादीगण का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उसका वास्तविक नाम मनोज कच्छवाह, मीनाक्षी कच्छवाह, नर्मदा देवी है। वादीगण अभी अपनी खातेदारी की नाबालिग से बालिग का नामान्तकरण स्वीकृत करवाने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष गये और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर से नाबालिग से बालिग का नामान्तकरण स्वीकृत करने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, अंकतालिका, पैनकार्ड, बैंक डायरी, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड आदि दस्तावेज तहसीलदार साहब के समक्ष पेश किये, जिस पर तहसीलदार साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम मनोज कच्छवाह, मीनाक्षी कच्छवाह, नर्मदा देवी लिखा हुआ है और जमाबन्दी में मनीष, राजू, नर्बदा लिखा हुआ है, जिस पर तहसीलदार साहब ने नामान्तकरण स्वीकृत करने से मना कर दिया और वादीगण को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे । इस कारण वादीगण को राजस्व रेकर्ड मे अपने मनीष के स्थान पर मनोज कच्छवाह व राजू के स्थान पर मीनाक्षी कच्छवाह व नर्बदा के स्थान नर्मदा देवी नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी संख्या 1 मनीष एवं मनोज कच्छवाह तथा वादी संख्या 2 राजू एवं मीनाक्षी कच्छवाह तथा वादी सख्या 3 नर्बदा एवं नर्मदा देवी एक ही व्यक्ति तथा औरत है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने विवादग्रस्त भूमि दावे के पद संख्या 1 की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पेश नही की है। वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में मनीष, राजू, नर्बदा नाम लिख देने से वादीगण न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकता है। वादीगण को घर पर लाड़ प्यार से मनोज कच्छवाह को मनीष तथा मीनाक्षी कच्छवाह को राजू तथा नर्मदा देवी को नर्बदा पुकारते है, इस कारण वादीगण के पिता सत्यनारायणजी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय भूलवश या बिना जानकारी के वादी संख्या 1 का नाम मनीष तथा वादी संख्या 2 का नाम राजू तथा वादी संख्या 3 का नाम नर्बदा दर्ज कर दिया, जबकि वादी संख्या 1 से 3 के सरकारी दस्तावेज मनोज कच्छवाह, मीनाक्षी कच्छवाह, नर्मदा देवी नाम से जारी किये हुए है, अतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम गलत अंकित करना एक मानवीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिए दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वाद कारण वादीगण अभी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक मैनेजर के पास गये और उनके द्वारा रेकर्ड में शुद्धि का इन्द्राज कराने का कहने पर वादीगण को वाद कारण ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्त में दावा पेश कर निवेदन है कि ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1482 रकबा 1.4886 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 1495 रकबा 1.4319 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.9205 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में नाबालिग मनीष पुत्र सत्यनारायण संरक्षक वली माता नर्मदा के स्थान पर मनोज कच्छवाह पुत्र सत्यनारायण तथा नाबालिग राजू पुत्री सत्यनारायण संरक्षक वली माता नर्बदा के स्थान पर मीनाक्षी कच्छवाह पुत्री सत्यनारायण तथा नर्बदा पत्नी सत्यनारायण के स्थान पर श्रीमती नर्मदा देवी पत्नी सत्यनारायण की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम मनीष, राजू, नर्बदा के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर मनोज कच्छवाह, मीनाक्षी कच्छवाह व नर्मदा देवी का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे ।

वादीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर बाद तामील कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बरना के खसरा नंबर 1482 रकबा 1.4886 हैक्टयर, खसरा नंबर 1495 रकबा 1.4319 हैक्टयर, कुल खसरा 2 रकबा 2.9205 हैक्टयर स्थित है यह भूमि वादीगण 1 व 2 के पिता व वादी 3 के पिता सत्यनारायण पुत्र घीसाराम के नाम थी जरिये विरासत नामा. 2238 के जरिये घीसाराम व उसका पुत्र सत्यनारायण के फौत होने पर पूरे खाते में केवलराम पुत्र घीसाराम, मोकली पत्नी घीसूराम, कंचन पुत्री घीसूराम, नर्मदा पत्नी सत्यनारायण, मनीष पुत्र सत्यनारायण अनमोल, राजू पुत्री सत्यनारायण नाबालिग वली नर्मदा पत्नी सत्यनारायण दर्ज हुआ। खातेदार मोकलीदेवी पत्नी घीसूराम के फौत होने पर नामा. सं. 2979 भरे जाने पर केवलराम पुत्र घीसूराम, नर्बदा पत्नी सत्यनारायण, मनीष पुत्र सत्यनारायण, अनमोल, राजू पुत्री सत्यनारायण ना.बा.की वली नर्बदा पत्नी सत्यनारायण कंचन पुत्री घीसूराम दर्ज हुआ। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, अंकतालिका, पैनकार्ड, बैंक डायरी, पहचान पत्र इत्यादि प्रस्तुत कर अपना नाम मनीष के स्थान पर मनोज कच्छवाह, राजू के स्थान पर मीनाक्षी कच्छवाह तथा नर्बदादेवी के स्थान पर नर्मदादेवी होना बताया।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि पद सं. 1 में वर्णित खसरा नम्बरान में नाबा. मनीष पुत्र सत्यनारायण के स्थान पर मनोज कच्छवाह पुत्र सत्यनारायण, नाबा. राजू पुत्री सत्यनारायण के स्थान पर मीनाक्षी कच्छवाह पुत्री सत्यनारायण तथा नर्बदा पत्नी सत्यनारायण के स्थान पर नर्मदादेवी पत्नी सत्यनारायण की खातेदारी घोषित किया जाना उचित है तथा संरक्षक के रूप में वली का नाम हटाया जाना उचित है तथा राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम मनीष, राजू, नर्बदा के स्थान पर मनोज कच्छवाह, मीनाक्षी कच्छवाह व नर्मदा देवी के नाम की दुरूस्ती में भूमिधारी सहमत है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र मनोज कच्छवाह पुत्र सत्यनारायण जाति सरगरा द्वारा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खसरा नम्बर 1482, 1495 ग्राम बरना , प्रदर्श 2 आधार कार्ड मनोज कच्छवाह, प्रदर्श 3 पैन कार्ड मनोज कच्छवाह, प्रदर्श 4 आधार कार्ड मीनाक्षी कच्छवाह, प्रदर्श 5 पैन कार्ड मीनाक्षी कच्छवाह, प्रदर्श 6 जाति प्रमाण पत्र मीनाक्षी कच्छवाह, प्रदर्श 7 राशन कार्ड नर्मदा देवी पत्नी सत्यनारायण, प्रदर्श 8 मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यनारायण पुत्र घीसाराम आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खसरा नम्बर 1482, 1495 ग्राम बरना , प्रदर्श 2 आधार कार्ड मनोज कच्छवाह, प्रदर्श 3 पैन कार्ड मनोज कच्छवाह, प्रदर्श 4 आधार कार्ड मीनाक्षी कच्छवाह, प्रदर्श 5 पैन कार्ड मीनाक्षी कच्छवाह, प्रदर्श 6 जाति प्रमाण पत्र मीनाक्षी कच्छवाह, प्रदर्श 7 राशन कार्ड नर्मदा देवी पत्नी सत्यनारायण, प्रदर्श 8 मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यनारायण पुत्र घीसाराम आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि राजस्व ग्राम बरना के खसरा नंबर 1482, 1495 में पूर्व में घीसूराम पुत्र बस्ताराम जाति सरगरा के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था घीसूराम व सत्यनारायण के फौत होने पर केवलराम पुत्र घीसाराम, मोकली पत्नी घीसूराम, कंचन पुत्री घीसूराम, नर्बदा पत्नी सत्यनारायण, मनीष पुत्र सत्यनारायण, राजू पुत्री सत्यनारायण नाबालिग वली नर्मदा पत्नी सत्यनारायण जरिये नामान्तरकरण सं. 2238 दर्ज हुआ। जबकि सरकारी/निजी दस्तावेजात में मनोज कच्छवाह पुत्र सत्यनारायण, मीनाक्षी कच्छवाह पुत्री सत्यनारायण व नर्मदा देवी पत्नी सत्यनारायण अंकित है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम नाबा. मनीष पुत्र सत्यनारायण के स्थान पर मनोज कच्छवाह पुत्र सत्यनारायण, नाबा. राजू पुत्री सत्यनारायण के स्थान पर मीनाक्षी कच्छवाह पुत्री सत्यनारायण तथा नर्बदा पत्नी सत्यनारायण के स्थान पर नर्मदादेवी पत्नी सत्यनारायण की घोषणा कराने के अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने नाबा. मनीष पुत्र सत्यनारायण के स्थान पर मनोज कच्छवाह पुत्र सत्यनारायण, नाबा. राजू पुत्री सत्यनारायण के स्थान पर मीनाक्षी कच्छवाह पुत्री सत्यनारायण तथा नर्बदा पत्नी सत्यनारायण के स्थान पर नर्मदादेवी पत्नी सत्यनारायण किये जाने पर अपनी सहमती प्रदान की है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बरना के खसरा नंबर 1482, 1495 के राजस्व रेकर्ड में नाबा. मनीष पुत्र सत्यनारायण के स्थान पर मनोज कच्छवाह पुत्र सत्यनारायण, नाबा. राजू पुत्री सत्यनारायण के स्थान पर मीनाक्षी कच्छवाह पुत्री सत्यनारायण तथा नर्बदा पत्नी सत्यनारायण

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

के स्थान पर नर्मदादेवी पत्नी सत्यनारायण की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23/01/15 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
मनोज कच्छवाह		केवलराम वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- 119/2024

निर्णय **दिनांक :-** 23/04/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बरना के खसरा नंबर 1482, 1495 के राजस्व रेकर्ड में नाबा. मनीष पुत्र सत्यनारायण के स्थान पर मनोज कच्छवाह पुत्र सत्यनारायण, नाबा. राजू पुत्री सत्यनारायण के स्थान पर मीनाक्षी कच्छबाह पुत्री सत्यनारायण तथा नर्बदा पत्नी सत्यनारायण के स्थान पर नर्मदादेवी पत्नी सत्यनारायण की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा